रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2015/भाद्र 4, 1937
No. 531] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 663(अ).—केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 56 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वक्फ संपत्ति पट्टा नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वक्फ संपत्ति पट्टा (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वक्फ संपत्ति पट्टा नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :

"(1) किसी स्थावर वक्फ संपत्ति के पट्टे के लिए प्रति वर्ग फुट का आरक्षित मूल्य निम्नानुसार होगा –

(क) अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं और सामाजिक सेक्टरों के लिए संपत्ति के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम नहीं होगा ;

(ख) वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए संपत्ति के बाजार मूल्य के 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम नहीं होगा;"

3. उक्त नियमों के नियम 17 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :

"(1) तीन वर्ष की अवधि से अधिक और तीस वर्ष तक विस्तारित अवधि के लिए किसी स्थावर वक्फ संपत्ति का पट्टा किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप को चलाने, शैक्षिक या स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन से अनुदत्त किया जा सकेगा और यदि राज्य सरकार पैतालिस दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्रदान करने में असफल रहती है तो अनुज्ञा अनुदत्त की गई समझी जाएगी।"।

[फा. सं. 12/13/2014-वक्फ]

राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 380(अ), तारीख 3 जून, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2015

G.S.R. 663(E).– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 56 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Waqf Properties Lease Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Waqf Properties Lease (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 7 of the Waqf Properties Lease Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The reserve price per square feet for lease of an immovable waqf property shall–

(a) for hospitals, educational institutions and social sectors, be not less than 2% per annum;

(b) for commercial activities, be not less than 2.5% per annum,"

of the market value of the property.

3. In rule 17 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) A lease of any immovable waqf property exceeding the period of three years and extending upto thirty years may be granted for the purposes of carrying out any commercial activity, education or health purposes, with the approval of the State Government and if the State Government fails to grant permission within forty-five days, the permission shall be deemed to be granted.".

[F. No. 12/13/2014-Waqf]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 380(E), dated the 3rd June, 2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.